



533

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्रालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2015 रिवीजन

क्रमांक २७८-II-15

विपणन सहकारी संस्था मर्यादित लटेरी
जिला विदिशा म.प्र. द्वारा प्रबंधक
कमलेश शर्मा पुत्र श्री ज्वाला शर्मा,
आयु 46 वर्ष निवासी लटेरी, तहसील
लटेरी जिला विदिशा (म.प्र.)

.....आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन

.....अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लटेरी जिला विदिशा द्वारा
प्रकरण क्रमांक 1/ अप्रैल/ 14-15 में पारित आदेश दिनांक 28.
01.2015 के विरुद्ध म.प्र. राजस्व संहिता की धारा 50 (1) के अधीन
निगरानी सम्यावधि में प्रस्तुत है।

महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत
है :-

- यहकि, विपणन सहकारी संस्था मर्यादित लटेरी जिला विदिशा के
म.प्र. सहकारी समितियां के अंतर्गत पंजीबद्व है और उसका
पंजीयन क्रमांक / ए.आर./ बी.डी.एस. / 528 है।
- यहकि, उक्त संस्था को उक्त भूमि ग्राम पंचायत द्वारा सर्वे नम्बर
1152-53 में 100 वाय 100 कुल क्षैत्रफल 10000 वर्गफीट भूमि
प्रदाय की गई थी। वर्तमान में उक्त सर्वे क्रमांक 1031 है जिसका

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

८६३

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-278-दो/15

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१९.१२.१८	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५.४.१९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">~ प्रशासकीय सदस्य</p> 	